न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)
कैम्प– पंचायत समिति जवाजा
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2018

1– श्री धूलसिंह वयस्क पुत्र श्री बालूसिंह
2– श्री खीमसिंह वयस्क पुत्र श्री बालूसिंह
3– श्री चिम्मनसिंह वयस्क पुत्र श्री बालूसिंह
4– श्रीमती कमला वयस्क पुत्री श्री बालूसिंह
समस्त जाति रावत निवासियान रामखेड़ा धनार तह. ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
——————प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्री लाडूसिंह वयस्क पुत्र श्री बालूसिंह जाति रावत निवासी रामखेड़ा धनार तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर(राज.)
——————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 14.08.2020

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये है, मौजा रामखेड़ा धनार पटवार क्षेत्र गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर के खसरा संख्या 331 रकबा 01–03–10 किस्म ता.3, 345/1 रकबा 01–12–10 किस्म ता.3 व 345/2 रकबा 0–00–10 किस्म बा.3 की भूमियों के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2071–74 अनुसार दर्ज चले आ रहे हैं, उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें आने जाने एवं कृषि उपकरण व कृषि सामान ले जाने के लिये वर्तमान में प्रार्थीगण खसरा नम्बर 366, 367, 368, 369 व अन्य जो कि अप्रार्थी नम्बर 2 की भूमि है। उपरोक्त भूमियों में से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियों के सामने दक्षिणी–पूर्वी दिशा से होता हुआ प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त आराजी कृषि भूमियों के पिछले 70–80 सालों से अपने पूर्वजों के समय से आते जाते हैं एवं कृषि उपकरण आदि ले जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिनस्थ हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को दिनांक 14.09.2018 को प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे चिरकाल से उपयोग उपभोग के रास्ते में अपने ट्रेक्टर से चारा लाने से मना कर दिया और प्रार्थीगण को अपने उपरोक्त खेतों तक आने जाने से भी भयंकर विरोध कर रहे हैं जिससे प्रार्थीगण अपने उक्त खेतों का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के उपरोक्त खेतों का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है, इसलिये प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उन्हें बतौर प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1 पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के उपरोक्त खेतों में से होकर निकलने वाले रास्ते जिसकी चौड़ाई 15 फिट है, उक्त रास्ते में आने वाली डीएलसी रेट से प्रीमियम जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 331, 345/1 व 345/2 में आने जाने हेतु उससे लगते हुए अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 366, 367, 368, 369 व अन्य में बने कदीमी 15 फीट चौड़ा रास्ता मैन रास्ते तक चला आ रहा है, उसे दिलाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में तरमीम करवाये जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामीली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

प्रकरण में तहसीलदार ब्यावर द्वारा कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किये हैं कि प्रार्थी ने रामखेड़ा धनार स्थित अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 331 व 345 में आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 323 किस्म रास्ता से लगते हुए खसरा संख्या 324 व 326 में से रास्ता दिया जा सकता है जो कि सबसे निकटस्थ रास्ता है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः खसरा संख्या 324 व 326 के खातेदारान को पक्षकार बनाने के बाद ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रकरण कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री शफी मौहम्मद स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थीगण को उनकी सहखातेदारी की भूमियों में से आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया जावे जिस बाबत् डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार हैं। पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर मय पटवारी हल्का ने बहस में कमोबेश अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए मौखिक कथन किए कि प्रार्थीगण मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 323 किस्म रास्ता से लगते हुए खसरा संख्या 324 व 326 में से रास्ता दिया जा सकता है जो कि सबसे निकटस्थ रास्ता है एवं मुख्य सड़क पर आने–जाने हेतु सुगम है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः खसरा संख्या 324 व 326 के खातेदारान को पक्षकार बनाने के बाद ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तोवजात ग्राम रामखेड़ा धनार की प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। ग्राम रामखेड़ा धनार पटवार हल्का गोहाना की जमाबन्दी संवत् 2071–74 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 25 में अंकित खसरा संख्या 331 रकबा 01–03–10 किस्म ता.3, 345/1 रकबा 01–12–10 किस्म ता.3 व 345/2 रकबा 0–00–10 किस्म बा.3 जरिए नामान्तकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 नाम सहखातेदारी में दर्ज है। ग्राम ग्राम रामखेड़ा धनार पटवार हल्का गोहाना की जमाबन्दी संवत् 2071–74 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अन्य खसरान् के साथ खसरा नम्बर 367 रकबा 09–02–10 पहाड़िया व पवर्त दर्ज है। प्रार्थीगण ने रास्ते की वांछित अन्य भूमियां खसरा संख्या 366, 368 व 369 की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है, कि उक्त भूमियां किसके नाम दर्ज है। इसके विपरित तहसीलदार ब्यावर ने अपने जवाब के साथ ग्राम रामखेड़ा धनार पटवार हल्का गोहाना की जमाबन्दी संवत् 2071–74 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 17 में अन्य खसरान् के साथ रास्ते हेतु प्रस्तावित खसरा संख्या 324 रकबा 01–06–10 व 326 रकबा 01–12–00 घीसासिंह उर्फ बाबूसिंह वल्द मेघसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया है जो कि इस प्रार्थना पत्र प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं है।

उक्त समस्त दस्तावेजात् एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस एवं तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट व बहस में किए गए कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में यह स्पष्ट किया है कि मौजा रामखेड़ा धनार के खसरा संख्या 331, 345/1 व 345/2 पर संयुक्त रूप से कब्जा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है एवं उक्त भूमियां सहखातेदारी की है जो राजस्व

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

रेकार्ड जमाबन्दी से स्पष्ट भी होता है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रामखेड़ा धनार में स्वयं की खातेदारी भूमियों के लिए वांछित खसरा संख्या 366, 368 व 369 की जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की है। केवल मात्र खसरा संख्या 367 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त भी तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से अधिक नजदीक खसरा संख्या 324 व 326 है एवं प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 324 व 326 के खातेदारान् को पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का ग्राम रामखेड़ा धनार पटवार हल्का गोहाना की वादग्रस्त आराजियात बाबत् यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है तथा प्रार्थीगण को विकल्प दिया जाता है कि वे तहसीलदार ब्यावर द्वारा बताए गए खसरा संख्या 324 व 326 के खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए रास्ते बाबत् नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर